

लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड सरकार

वृत्त

— 8 वाँ वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी

खण्ड का नाम — निर्माण खण्ड लो०नि०वि० चम्बा

—वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव—

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने के प्रपत्र/प्रमाण पत्र !

कार्य का नाम-- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौली में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार — थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मार्ग की वास्तविक लम्बाई— 7.775 किमी०

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल — | 2.9925 हे० (लम्बाई 4.275 कि०मी०) |
| 2. नाम भूमि का क्षेत्रफल — | 2.45 हे० (लम्बाई 3.500 कि०मी०) |

INDEX

क्र०सं०	प्रपत्र	प्रारूप संख्या (एस०ओ०पी० के अनुसार)	पृष्ठ संख्या	
			से	तक
--	मुख्य पृष्ठ	---		
--	विषय सूची	---		
1.1	ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	1		
1.2	सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोग्रीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	8		
1.3	मैप जिसमें टोपोग्रीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० के साथ दिखाया गया हो।	9		
1.4	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो। (kml file)	10		
1.5	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	प्रतिवेदन		
1.6	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण-पत्र मय संलग्नकों के (नये प्रारूप में)।	30		
1.7	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	44		
1.8	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45		
1.9	यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।	47		
1.10	भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (PDF).	48		
1.11	विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।	29		
2.1	प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता	11		
2.2	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5		
2.3	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट। (प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	6		
2.44	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	2		
2.45	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	3		
2.46	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3	4		
2.47	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट	7		
2.4	वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का औचित्य एवं कारण।	12,13		
2.5	जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	14		
2.6	प्रस्तावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	15		
2.7	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हेतु भूमि विभिन्न वर्गवार आरक्षित, निजी वन, वन पंचायत, निजी भूमि, आदि।	16		
2.8	परियोजना का भूमि उपयोग का बार-चार्ट।	17		
2.9	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सिविल भूमि पर (10 वर्षीय दरों पर)।	42		
2.10	क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	43		
2.11	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	---		
2.12	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावकलन।	46		

2.13	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	---		
2.14	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (1 हे० से कम में लागू।)	लागू नहीं		
2.15	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम। (सूची आरक्षित वन क्षेत्र, सिविल, वन पंचायत, एवं निजी भूमि दोनों अलग-अलग बनायी जानी होगी)।	19		
-	परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन	20		
-	परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21		
2.16	बाँज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण-पत्र।	22		
2.17	अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।	23		
2.18	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	24		
2.19	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना।	49		
2.20	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	25		
2.21	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी० की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र	26		
2.22	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा० उच्चतम न्यायालय की अनुमति।	27		
2.23	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।	54		
2.24	आम-सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	28		
2.25	प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्राकल्पन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	लागू नहीं	---	---
2.26	अवयव के अनुसार Component wise निर्माणाधीन कार्यों का विवरण। (यदि लागू हो तो)।	---		
2.27	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	18		
2.28	भू-वैज्ञानिक की आख्या।	33		
2.29	टास्क-फोर्स रिपोर्ट।	35		
2.30	मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	36		
2.31	टास्क-फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34		
2.32	धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	37		
2.33	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	38		
2.34	परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तैल एवं रसोई गैस का प्रमाण-पत्र।	39		
2.35	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	40		
2.36	एन०पी०वी० की देयता का प्रमाण-पत्र।	50		
2.37	मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण-पत्र।	51		
2.38	वन भूमि के लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	41		
2.39	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र।	53		
2.40	आर०सी०सी० पिलरों के सीमांकन का प्राकल्पन	52		
2.41	आर०सी०सी० पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र	---		
2.42	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्या सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र। (अगर लागू हो)।	---		
2.43	चैक लिस्ट/फैक्ट शीट/अन्य विवरण	---		